भारत संघ

बनाम

सम्पत राज इगर और अन्य

21 जनवरी, 1992

[जस्टिस एस. रंगनाथन, वी. रामास्वामी और बी. पी. जीवन. रेड्डी, जेजे.] आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955:

खण्ड 5 (3) (ii)-आयात लाइसेंस का उदेश्य और व्याख्या,आयात के समय व सीमा शुल्क विभाग से पास होने तक आयातित माल को लाइसेंसधारी की संपत्ति के रूप में मानने की शर्त-कब लागु नही- सामान आयात किया गया लेकिन आयातक सीमा शुल्क काे भुगतान करके सामान को पास कराने व विक्रेता के द्वारा भेजे गये स्वामित्व के दस्तावेज को प्राप्त करने में विफल रहता है- चाहे माल विक्रेता की संपति हो-चाहे विक्रेता माल को पुन: निर्यात करने का हकदार हो। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962: धारा 2 (26)-आयात और निर्यात नीति, 1985-86: पैरा 26 (iv)। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962

धारा 111 (डी)--माल जो वैध लाइसेंस के अधीन आयात किया जाता है और जो विधि के प्रतिकूल नहीं है, बाद में लाईसेंस के निरस्त होने पर चाहे बाद में आयात विधि के प्रतिकूल हो आयातित माल अधिहरणीय होगा। धारा 111 (0)-कब लागू होगी-शर्तों के अधीन आयात लाइसेंस दिया गया- आयातक द्वारा पूर्व के माल के समय शर्तों का पालन न करना पश्चातवर्ती माल के समय भी शर्तों का पालन न करने काे दर्शाता है। माल का अधिहरण न्यायोचित है। धारा 4-जी आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947।

क़ानूनों की व्याख्या-शब्द और वाक्यांश उस संदर्भ में अर्थ देते हैं जिसमें उनका उपयोग किया जाता है।

शब्द और वाक्यांश-' संपत्ति और अधिकार '-का अर्थ

भारत में व्यापार करने वाले दूसरे प्रतिवादी ने कच्चे रेशम के आयात के लिए अग्रिम आयात लाइसेंस प्राप्त किया। लाइसेंस इस शर्त पर दिया गया था कि आयातित कच्चे रेशम का उपयोग कपड़ों के निर्माण और निर्यात के लिए किया जाएगा। इसके कुछ समय बाद, दूसरे प्रतिवादी को तीन खेपें मिलीं, लेकिन उसने निर्धारित शर्त को पूरा नहीं किया। इसके बाद, पहला उत्तरदाता जो भारतीय था जो विदेश में रह कर व्यापार करता था,ने चार लॉट में निश्चित मात्रा में कच्ची रेशम भेजे, जो दूसरे उत्तरदाता को वितरित किए जाने थे। आवश्यक दस्तावेज पहले प्रतिवादी के बैंकरों को, इस निर्देश के साथ भेजा गया था कि भुगतान प्राप्त करने पर दूसरे प्रतिवादी को दे दिया जाये। जब चार खेप भारत में पहुंची, तो दूसरा प्रतिवादी सीमा शुल्क अधिकारियों के सामने पेश हुआ और माल की डिलीवरी लेने के अधिकार का दावा किया, लेकिन प्राधिकरण ने आयात

लाइसेंस प्रापत करते समय दिये गये गलत तथ्यों के बारे में व पहले की तीन खेपों के संबंध में निर्धारित शर्तों का पालन न करने के तथ्य का पता चलने पर उसके व दो अन्य प्रतिवादियों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू कर दी। कार्यवाहियों को देखते हुए, दूसरा प्रतिवादी भुगतान करने और दस्तावेजों को प्राप्त करने में विफल रहा; उसने माल को पास कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, माल परित्यक्त कर दिया।

प्रथम प्रतिवादी स्वयं की और से कार्यवाही में उपस्थित हुआ और कथन किया कि माल का स्वामित्व दूसरे प्रतिवादी को अंतरित नहीं हुआ था और वह अभी भी माल का मालिक था, और इसलिए, उक्त माल का अधिहरण नहीं किया जा सकता था या दूसरें प्रतिवादी के द्वारा के की गये भंग के लिए उसके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती क्यों कि वह पहले के आयातों के दुरुपयोग में पक्षकार नहीं था, और न ही उसे अग्रिम आयात लाइसेंस प्राप्त करने में दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी के बारे में पता था, और यह कि उसे प्रश्ननगत वस्तुओं को फिर से निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है।

जबिक कार्यवाही लंबित थी, सक्षम प्राधिकारी दूसरे उत्तरदाता को जारी किये गये अग्रिम आयात लाइसेंस को रद्द कर दिया। सीमा शुल्क कलेक्टर का विचार था कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रिम आयात लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, उन वस्तुओं की निकासी के लिए कोई वैध आयात लाइसेंस नहीं था, और चूंकि उक्त वस्तुओं के पुनः निर्यात के लिए एक वैध

आयात लाइसेंस आवश्यक था और वह नहीं था, और दूसरे प्रतिवादी ने माल को छोड़ दिया था, इसलिए पुनः निर्यात की अनुमित नहीं दी जा सकी। तदनुसार, उन्होंने पहले अप्रार्थी के दावों को खारिज कर दिया। दूसरे प्रत्यर्थी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया और विचाराधीन चार खेपों को अधिहरित करने का आदेश दिया।

पीड़ित होकर प्रथम प्रतिवादी ने सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26) व सपठित धारा 5 (3) (ii) आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के तहत आयातक की परिभाषा के तहत दूसरे प्रतिवादी को चार खेपों का मालिक माना जाना चाहिए। वर्ष 1985-86 के लिए जारी आयात और निर्यात नीति के पैरा 26 (iv) पर जोर दिया गया था, और यह कथन किया गया था कि प्रश्लगत सामान दूसरे प्रतिवादी के कृत्यों और चूक के लिए अधिहरण किए जाने के लिए उत्तरदायी थे। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि शर्त (आयातित कच्चे रेशम धागे से निर्मित कपड़ों के निर्यात से संबंधित) का पालन न करने के कारण दूसरे प्रतिवादी ने सभी माल, जो आयात लाईसेंस से शासित थे अधिहरण के दायी थे।

रिट याचिका की अनुमित देते हुए, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिस दिन माल का आयात किया गया था, वे एक वैध आयात लाइसेंस द्वारा कवर किए गए थे, और उसके बाद उसके रद्द होने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पडेगा।, चूंकि दूसरा प्रतिवादी भुगतान करने व स्वामित्व के दस्तावेजों प्राप्त करने में विफल रहा था, इसलिए माल का स्वामित्व उसे अंतरित नहीं हुआ था, और प्रतिवादी ही माल का स्वामी बना रहा और वह फिर से निर्यात करने का हकदार था। इसके अनुसार, उन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 (डी) के तहत कलेक्टर के अधिहरण के आदेश को रद्द कर दिया। अपीलार्थियों को निर्देश दिया कि वे (1) विचाराधीन चार खेपों को पहले प्रतिवादी को या उसके समाशोधन अभिकर्ता, को पुनः पोत लदान के लिए सौंप दें , और (2) उस अविध के लिए एक निरोध प्रमाण पत्र जारी करें जब तक माल निरोध में रहा था।

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भारत संघ और सीमा शुल्क प्राधिकरण की अपील को खारिज कर दिया जिस पर इस न्यायालय के समक्ष अपील की की गयी।

अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने:-

अभीनिर्धारितः 1.1 आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 खंड 5 के उपखंड (3) की शर्त (ii) में कहा गया है कि जिन वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस दिया गया है, वे आयात के समय और उसके बाद सीमा शुल्क पास होने तक लाइसेंसधारी की संपत्ति होगी। आदेश जारी करने वाले, नियम बनाने वाले प्राधिकरण (केंद्र सरकार) को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि कई मामलों में, आयातक उनके आयात के समय आयातित

माल का मालिक नहीं होता है और वह बाद में उनका मालिक बन जाता है, यानी जब वह भुगतान करता है और संबधित दस्तावेज प्राप्त करता है। फिर भी केंद्र सरकार ने घोषणा की कि ऐसी वस्तुएं आयात के समय से ही लाइसेंसधारी की संपत्ति होंगी। [282 डी; ई-एफ]

1.2 निर्वचन इस तरह से किया जाना चाहिए कि वह उपबंधों से संबंधित हो व उनके उदेश्यों की प्राप्ति के लिए हो।

'प्रॉपर्टी ऑफ' और 'वेस्ट' जैसी अभिव्यक्तियों का एक एकल सार्वभौमिक अर्थ नहीं है। उनकी विषय-वस्तु संदर्भ के अनुसार भिन्न होती है। कहावत कि शब्द स्पष्ट नहीं होते हैं और से यह जिस संदर्भ में प्रयोग होते हैं उसके अनुसार अर्थ निकालतें है, इन शब्दों के मामले में यह भी कम सच नहीं है कि एक शब्द साफ नहीं है और यह संदर्भ से अपना रंग लेता है। इन शब्दों के मामले में भी कम सच नहीं है। [282 जी-एच; 283 ए]

1.3 खंड 5 (3) में अंतर्निहित शर्त (ii) का उद्देश्य है - आयात (नियंत्रण) आदेश और आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। विचार यह है कि आयात के समय से सीमा शुल्क के माध्यम से मंजूरी मिलने तक जो कुछ भी होता है, उस प्रत्येक के लिए लाइसेंसधारी को जिम्मेदार ठहराया जाए। निर्यातक देश से बाहर है, जबिक आयातक, यानी लाइसेंसधारी भारत में है। यह कि लाइसेंसधारी के कहने पर हि इस देश में माल का आयात किया जाता है।

चाहे वह कानूनी रूप से ऐसी वस्तुओं का मालिक हो या नहीं, आयात (नियंत्रण) आदेश एक परिकल्पना पैदा करता है कि उसे आयात के समय से सीमा शुल्क के माध्यम से मंजूरी मिलने तक ऐसी वस्तुओं का मालिक माना जाएगा। यह परिकल्पना उक्त आदेश व आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बनाई गई है। हालांकि इस परिकल्पना को, उससे आगे नहीं ले जाया जा सकता। इसका उपयोग आयातित माल का स्वामित्व आयातक को सौंपने के लिए नहीं किया जा सकता है, उस स्थिति में भी जब उसने इसे त्याग दिया हो,

स्वामित्व के दस्तावेजों के लिए भुगतान नहीं करता है और प्राप्त नहीं करता है। पिरित्याग के इस तरह के कार्य के लिए, उसके खिलाफ निलंबन/लाइसेंस को जब्त करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, और उसके खिलाफ कुछ अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे मामले में भी उसे माल के मालिक के रूप में नहीं माना जा सकता है। अन्यथा धारण करने से पूर्व निर्यातक बहुत कठिन स्थिति में आ जाता; वह भुगतान प्राप्त किए बिना माल खो देता है और उसका एकमात्र उपाय आयातक पर माल की कीमत और उस तरह के नुकसान,जो उसे उठाना पड़ा होगा के लिए मुकदमा करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुकूल नहीं होगा। 1283 ए-ईजे

1.4 जैसे कि इस मामले में, जहां एक आयातक, आयातित माल के लिए भुगतान करने और उसकी डिलीवरी लेने और केवल उन्हें छोड़ने के लिए, चुनता है या विफल हो जाता है और उसे छोड देता है, खंड 5 के उप-खंड (3) में शर्त (ii) निर्यातक को उक्त माल पर उसके स्वामित्व से वंचित करने के लिए लागु नहीं होती बशर्त कि आयात कानून के विपरीत नहीं है। [283 ई-एफ.]

1.5 हालांकि, जहां आयातक साख का पत्र खोलता है और आयातित वस्तुओं के मूल्य के भुगतान को सुनिश्चित करने/गारंटी देने के लिए कोई अन्य व्यवस्था करता है, आयातक द्वारा मूल्य का भुगतान न करने या त्याग करने की स्थिति में, ऐसी व्यवस्था को लागू करके मूल्य वसूल करने के लिए निर्यातक के पास विकल्प होगा। ऐसे मामले में, निर्यातक को माल पर स्वामित्व का दावा करने और/या फिर से निर्यात करने की अनुमित नहीं होगी।

ऐसे सभी मामलों में, प्राधिकरण को निर्यातक को माल के साथ सौदा करने या फिर से निर्यात करने की अनुमित देने से पहले आयातक और/या उसके एजेंट को नोटिस जारी करना चाहिए। तत्काल, मामले में आयातक और निर्यातक दोनों कलेक्टर (सीमा शुल्क) के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। आयातक ने ऐसी किसी व्यवस्था का अनुरोध नहीं किया था। [283 एफ-एच]

1.6 धारा 111 के खंड (डी) और (ओ) सीमा शुल्क एक्ट में से कोई भी नहीं इस मामले में लागु नही होता है। खंड (घ) एक ऐसे आयात पर विचार करता है जो सीमा शुल्क अधिनियम या उस समय लागू कोई अन्य कानून, दोनों में से किसी के द्वारा लगाए गए किसी भी निषेध के विपरीत हो। इस मामले में इस तरह के प्रतिबंध का अनुरोध नहीं किया जा सकता है क्योंकि आयात की तारीख को उक्त माल एक वैध आयात लाइसेंस द्वारा धारित किया गया था। बाद में लाइसेंस रद्द करने की कोई प्रासंगिकता नहीं है और न ही यह भूतलक्षी प्रभाव से आयात को अवैध बनाता है। [284 ए-बी]

ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क के कलेक्टर कलकत्ता, [1963] 3 एस.सी.आर. 372,338, पर विश्वास किया था।

1.7 खंड (0) उन वस्तुओं को जब्त करने करने के बारे में बताता है जिन्हें सशर्त शुल्क से छूट दी गई थी, और आयातक के द्वारा उस शर्त का पालन नहीं किया गया। इस खंड के तहत कार्रवाई करने का अवसर केवल तभी उत्पन्न होता है जब निर्धारित अविध या जहां कोई अविध निर्धारित नहीं है वहाँ उचित अविध के भीतर शर्त का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में खंड (ओ) के तहत माल को उनके आयात की तारीख को जब्त किया जाना चाहिए था।

इसके अलावा, केवल इसिलए यह उपधारणा करना संभव नहीं होनहीं की जाा सकती कि दूसरे प्रत्यर्थी ने पहले की तीन खेपों में शर्त का पालन नहीं किया था, इसिलए विचाराधीन चार खेपों के संबंध में भी इसका पालन नहीं किया जाएगा। आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 की धारा 4-जी, जिसमें ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भी परिकल्पना की गई है,जिसके अनुसार ऐसी वस्तुओं के उपयोग से संबंधित लाइसेंस की किसी भी शर्त का पालन न करने पर उक्त माल को जब्त कर लिया जाता है, भले ही ऐसी वस्तुएं अन्य वस्तुओं या सामग्री के साथ मिश्रित हों। इस मामले में, भले ही पांच साल से अधिक की अवधि बीत चुकी हो, सीमा शुल्क अधिनियम या आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 4-जी के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई है, हालांकि दूसरे प्रतिवादी का आयात लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में यह माना जाना चाहिए कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी या उस पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए प्रतिवादी का उक्त माल के हक के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नही रहा। [284 सी-जी]

- 1.8 धारा 2 (26) सीमा शुल्क अधिनियम में 'आयातक' की परिभाषा, वास्तविक रूप से स्वामित्व के प्रश्न से संबधित नहीं है। यह केवल आयातक की अभिव्यक्ति से संबधित है। पहले उत्तरदाता आयातक होने का दावा नहीं किया है। [281 एच; 282 ए]
- 1.9 वर्ष 1985-86 के लिए आयात-निर्यात नीति का पैरा 26 (iv यह कहता है कि एक आयात वैध है यदि यह अन्य बातों के साथ-साथ, लाइसेंस में निहित सभी नियमों और शर्तों और अन्य सभी संबंधित मामलों की शर्तों को पूरा करता है। वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाली स्थिति में

माल के स्वामित्व के सवाल के लिए इस पैरा की कोई प्रासंगिकता नहीं है। [285 बी]

1.10 इन परिस्थितियों में पुन: निर्यात के निर्देशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। इसकी अनुमित दी जायेगी और अनुमित कानून के अधीन और ऐसी देय राशि या अन्य शुल्कों के भुगतान के अधीन होगी जो उस संदर्भ में देय हो। [285 सी-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील सं. 223/1992 (एन. एम.)

रिट याचिका संख्या 85/1987 , अपील संख्या 807/1987 में बॉम्बे हाई के दिनांक 10.1.1991 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों की और से जी. वी. राव और पी. परमेश्वरन।

हरीश एन. साल्वे, विक्रम नानकानी, जयदीप पटेल, सुश्री मोनिका मोहिल, सुश्री बीना गुप्ता। उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय जस्टिस बी.पी. जीवन रेडडी के द्वारा दिया गया। अनुमति दी गयी।

यह अपील बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें भारत संघ और सीमा शुल्क के कलेक्टर द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 807/1987 को खारिज कर दिया गया था। उक्त अपील एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और आदेश के खिलाफ पेश गई थी। जिसमें प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका (85/1985) को स्वीकार किया गया था।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले से सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 (डी) के तहत विचाराधीन सामान को जब्त करने के लिए पारित दिनांक 15.9.1986 के आदेश को रद्द कर दिया था और सीमा शुल्क कलेक्टर और भारत संघ को निर्देश दिया था कि वे उक्त सामान (कच्चे रेशम धार्ग की चार खेप) पहले प्रतिवादी या उसके समाशोधन एजेंट को सौंप दें, तािक उसके द्वारा अनुरोध की गई शतीं के अनुसार हांगकांग को फिर से भेजा जा सके। विद्वान न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि जिस अविध के लिए माल को निरोध किया गया था,प्रथम प्रतिवादी बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, काे विलम्ब का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। कलेक्टर सीमा शुल्क और भारत संघ उसके पक्ष में निरोध प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

दूसरी प्रतिवादी सुश्री रेणु पहलाज "एक्वेरियस" नाम और शैली में दिल्ली में व्यवसाय कर रही हैं। पहला उत्तरदाता एक भारत राष्ट्र का निवासी है विदेश में रहता है ,हांगकांग में युनिसिल्क नाम और शैली में व्यवसाय कर रहा हैं दूसरे उत्तरदाता ने जारी करने की दिनांक से 18 माह की अवधि के लिए कच्चा रेशम आयात करने के लिए अग्रिम लाइसेंस 20.05.1985 को प्राप्त किया। आयात लाइसेंस इस शर्त के अधीन दिया गया था कि आयातित कच्चे रेशम का उपयोग वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाना

चाहिए जिन्हें दूसरे प्रतिवादी द्वारा निर्यात किया जाना चाहिए। अक्टूबर 1985 से कुछ समय पहले, दूसरे प्रत्यर्थी को तीन खेप प्राप्त हुए लेकिन उसने उपरोक्त शर्त को पूरा नहीं किया। अक्टूबर नवंबर 1985 के दौरान, पहले उत्तरदाता ने चार लॉट में कच्चे रेशम की कुछ मात्रा का निर्यात किया, जो दूसरे उत्तरदाता को दिया जाना था। आवश्यक दस्तावेजों को पहले प्रतिवादी के बैंकर को ,भुगतान प्राप्त करने पर दूसरे प्रतिवादी को देने के निर्देशों के साथ भेजा गया था। जब उक्त चार खेप बॉम्बे पहुंची, तो दूसरा उत्तरदाता सीमा शुल्क अधिकारियों के सामने पेश हुआ और माल की डिलीवरी लेने के अधिकार का दावा किया। हालाँकि, इस समय तक सीमा शुल्क अधिकारियों को पहले की तीन खेपों के संबंध में उपरोक्त शर्त का पालन न करने और अग्रिम आयात लाइसेंस प्राप्त करते समय उनके द्वारा किए गए कथित दुर्व्यवपदेशन के बारे में भी पता चल गया था। तदनुसार सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे द्वारा उसके और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी। प्रथम प्रतिवादी स्वयं उक्त कार्यवाही में उपस्थित ह्आ और उसे सुना गया। संभवतः यह देखते हुए कि कार्यवाही उसके खिलाफ जायेगी या अन्यथा-दूसरा प्रतिवादी भुगतान करने और दस्तावेज़ प्राप्त करने में विफल रहा। उसने सामान प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसका प्रभाव यह ह्आ कि उसने उसे परित्यक्त कर दिया।

प्रथम प्रत्यर्थी ने कलेक्टर के समक्ष कथन किया कि माल का हक/स्वामित्व द्वितिय प्रतिवादी को नहीं दिया गया है और वहीं अभी भी माल का स्वामी है और इसलिए दूसरे प्रतिवादी द्वारा किए गए उल्लंघनों, यदि कोई हो, के लिए उक्त माल को अधिहरित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह पहले के आयातों के दुरुपयोग के मामलों में पक्षकार नहीं था और न ही उसे अग्रिम आयात लाइसेंस प्राप्त करने में दूसरे प्रतिवादी द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी के बारे में पता था। उन्होंने अनुरोध किया कि उसे उक्त माल को फिर से हांगकांग निर्यात करने की अनुमित दी जाये।

जबिक उक्त कार्यवाही सीमा शुल्क कलेक्टर के समक्ष लंबित थी। दूसरे प्रतिवादी को दिया गया अग्रिम आयात लाइसेंस सक्षम प्राधिकारी द्वारा 12 मई, 1986 को रद्द कर दिया गया। उक्त माल के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

सीमा शुल्क कलेक्टर बॉम्बे ने 9 सितंबर 1986 को आदेश पारित किए,जिसके तहत दूसरे प्रतिवादी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। दो अन्य व्यक्तियों पर भी जुर्माना लगाया गया, जिनके बारे में कहा गया था कि वे दूसरे प्रतिवादी के सहयोगी थे। जहाँ तक प्रथम प्रत्यर्थी के दावों का संबंध था, उन्हें निम्नलिखित आधार पर खारिज कर दिया गया थाः अग्रिम आयात अनुज्ञिस, जिसके तहत उक्त चार खेपों का आयात किया गया था, चुंकि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि उन वस्तुओं निर्गम के लिए कोई वैध आयात अनुज्ञिस नहीं है; क्योंकि उक्त वस्तुओं के पुनः निर्यात के लिए एक वैध आयात अनुज्ञिस

आवश्यक है जाे कि नहीं है, जिसके कारण दूसरे प्रतिवादी ने माल परित्यक्त कर दिया है,पुनः निर्यात के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती।

प्रथम प्रतिवादी ने उक्त आदेश के खिलाफ अपील नहीं की। उसने सीधे ही रिट के माध्यम से बोम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनोती दी। उसने अपना तर्क दोहराया कि चूंकि दूसरा प्रतिवादी उक्त चार खेपों के संबंध में भुगतान करने और दस्तावेजों को प्राप्त करने में विफल रहा है, इसलिए वह खुद ही उसका मालिक बना हुआ है। इसलिए दूसरे प्रतिवादी के किसी भी कार्य या डिफ़ॉल्ट के लिए उक्त सामान को जब्त नहीं किया जा सकता है या किसी भी तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि वह इसे हांगकांग निर्यात करने के हकदार हैं। सीमा शुल्क कलेक्टर और भारत संघ का मामला यह था कि दूसरे प्रतिवादी को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(26) व खण्ड 5(3)(ii) आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 में आयातक की परिभाषा के आधार पर उक्त चार खेपों का मालिक माना जाना चाहिए।। वर्ष 1985-86 के लिए जारी आयात और निर्यात नीति के पैरा 26(iv) को आधार माना गया। कथन किया गया कि दूसरे प्रतिवादी के कृत्यों और चूक के लिए उक्त माल जब्त किया जा सकता है। यह भी कथन किया कि शर्त का अनुपालन न करने के कारण (आयातित कच्चे रेशम धागे से निर्मित कपड़ों के निर्यात से संबंधित) दूसरे प्रतिवादी ने आयात लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों को जब्त कर लिया है।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित निष्कर्षोः पर रिट याचिका स्वीकार की।

निष्कर्षीः जिस तारीख को माल का आयात किया गया था, एक वैध आयात लाइसेंस के तहत किया गया था। इसके बाद इसे रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 (डी) में आयातित वस्तुओं को केवल उसी स्थिति में जब्त करने का प्रावधान है जहां वे कानून के विपरीत आयात किए जाते हैं। भले ही दूसरा प्रतिवादी किसी भी दुरुपयोग या लाइसेंस की किसी भी शर्त का पालन न करने का दोषी था, यह केवल लाइसेंस रद्द करने/निलंबित करने के लिए एक आधार देता है; जब तक कि लाइसेंस निलंबित या रद्द नहीं किया गया, यह वैध और प्रभावी था। इस प्रकार माल का आयात एक वैध लाइसेंस के तहत था और कानून के विपरीत नहीं था। चूंकि दूसरा प्रतिवादी भुगतान करने और हक के दस्तावेजों को प्राप्त करने में विफल रहा है। माल का हक/स्वामित्व उसे हस्तांतरित नही ह्आ था। आयात (नियंत्रण) आदेश के खंड 5 (3) (ii) के प्रावधान का सीमित प्रभाव है। जहां सीमा शुल्क के माध्यम से माल की निकासी का प्रयास भी नहीं किया जाता है, और उसे छोड़ दिया जाता है, ऐसे आयातक को मालिक नहीं माना जा सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26) में 'आयातक' की परिभाषा भी अधिकारियों को लाभ नहीं पहंचाती है। चूँकि पहला प्रत्यर्थी माल का मालिक बना रहा, इसलिए वह उसे फिर से निर्यात करने का हकदार है।

सीमा शुल्क कलेक्टर और भारत संघ द्वारा पेश की गयी लेटर्स पेटेंट अपील को खंड पीठ द्वारा पूरी तरह से विद्वान एकल न्यायाधीश के तर्क की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया था।

इस अपील में, भारत संघ की और से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया कि बंबई उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने आयात (नियंत्रण) आदेश के खंड 5 (3) (ii) और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 में निहित प्रावधानों के अर्थ और प्रभाव की सही ढंग से व्याख्या नहीं की है। उन्होंने तर्क दिया कि आयात (नियंत्रण) आदेश के खंड 5 (3) (ii) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26) में निहित "आयातक" अभिव्यक्ति की परिभाषा के आधार पर, दूसरे प्रतिवादी को माल का मालिक माना जाना चाहिए और पहले प्रतिवादी को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह माल का मालिक है। माल बिक्री अधिनियम और/या सविंधा अधिनियम के तहत जो भी स्थिति हो, जहां तक सीमा शुल्क अधिनियम और आयात (नियंत्रण) आदेश के तहत अधिकारियों का संबंध है, दूसरा प्रतिवादी उक्त माल का मालिक है और कोई और नहीं। इसलिए, दूसरे प्रतिवादी के कृत्यों और चूक के लिए, उक्त माल अधिहरण के लिए दायी है। प्रथम प्रत्यर्थी के पास उपचार दूसरे प्रत्यर्थी पर हर्जाने और/या ऐसी अन्य अनुतोष के लिए मुकदमा करना है जो विधि के तहत उपलब्ध है, लेकिन वह उस माल पर स्वामित्व का दावा नही कर सकता

जो इस देश में आयात किया ज चुका है। यह भी तर्क दिया कि दूसरे प्रतिवादी द्वारा पहले की खेपों के दुरुपयोग के कारण, अधिकारी उक्त चार खेपों के अधिहरण करने के हकदार थे जो एक ही लाइसेंस के तहत आयात किये गये थे।

किसी भी स्थिति में, एक बार आयात लाइसेंस रद्द हो जाने के बाद, सीमा शुल्क से किसी के द्वारा माल को मंजूरी नहीं दी जा सकती थी। दूसरी ओर, प्रथम प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री साल्वे ने कथन किया कि उक्त खेप को जब्त करने का आदेश सीमा शुल्क कलेक्टर द्वारा केवल धारा 111 (डी) सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिया गया है। उक्त जब्ती इस कारण से पूरी तरह से अस्थिर है कि आयात की तारीख को एक वैध लाइसेंस था। बाद में आयात लाइसेंस को रद्द करने से उक्त आयात अवैध नहीं हो जाता है। प्रावधान जो आयात (नियंत्रण) आदेश के खंड 5 (3) (ii) में निहित सीमित रूप से लागु होते है। वे केवल लाइसेंसधारक को किसी भी तरह से उक्त लाइसेंस में व्यापार करने से रोकने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इसका प्रभाव आयातक को भ्रगतान करने और स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त करने से पहले भी उक्त माल को स्वामित्व प्रदान करने का नहीं हो सकता है। इसी तरह, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26) के तहत आयातक की परिभाषा एक सीमित उद्देश्य के लिए है। चूँकि माल का अधिकार पहले प्रत्यर्थी के पास बना रहता है, इसलिए वह उसे फिर से निर्यात करने का हकदार है। विद्वान वकील ने इस तथ्य पर जोर दिया कि

पहला प्रतिवादी कोई पक्षकार नहीं है और न ही उसे पहले की खेपों के कथित दुरुपयोग या आयात लाइसेंस प्राप्त करने में दूसरे प्रतिवादी द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी के बारे में पता था।

विवाद जो यहा उत्पत्र हुआ है उसके उचित विवेचन के लिए यह आवश्यक है सीमा शुल्क अधिनियम के साथ-साथ आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के कुछ प्रावधानों पर ध्यान दिया जाये।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 के खंड 26 में 'आयातक' की परिभाषा इस प्रकार है:

"आयातक किसी भी सामान के संबंध में उनके आयात और उस समय के बीच जब उन्हें घरेलु उपयोग के लिए मंजूरी दे दी जाती है, इसमें कोई भी मालिक या खुद को आयातक के रूप में रखने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल होता है"

धारा 111 जो अनुचित रूप से आयातित माल को जब्त करने का प्रावधान करती है।

जहाँ तक प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

"धारा 111 अनुचित रूप से आयातित माल का अधिहरण आदि - (घ) कोई भी माल जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन या उसके द्वारा अधिरोपित किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल आयात किये जाने के प्रयोजन के लिए भारतीय सीमा शुल्क सागर खण्ड के अन्दर आयात किये जाते है या जिनके आयात का प्रयस किया जाता है या लाये जाते है।

(ओ) कोई माल जिन्हे किसी शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन उनके आयात की बाबत शुल्क या किसी प्रतिषेध से छूट दी जाती है, और जिनकी बाबत उस शर्त का अनुपालन नही किया जाता है, जब तक कि उस शर्त के अनुपालन के लिए उचित अधिकारी ने मंजूरी न दी हो।

धारा 112 माल के अनुचित आयात के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है। इस मामले के प्रयोजन के लिए, धारा 112 लागु करना आवश्यक नहीं है। धारा 120 में प्रावधान है कि तस्करी किए गए माल को उनके रूप में किसी भी बदलाव के बावजूद अधिहरित किया जा सकता है। धारा 124 माल को जब्त करने से पहले कारण दृशित करने का नोटिस जारी करने और प्रभावित व्यक्ति को मामले में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने का प्रावधान करती है।

आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 केंद्र सरकार को शासकीय राजपत्र अधिनियम (धारा 3) में प्रकाशित आदेश द्वारा वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रतिबंधित या अन्यथा नियंत्रित करने का अधिकार देता है। धारा 4 जी निश्चित परिस्थितियों में माल को अधिहरित करने बाबत उपबंध करती है। धारा इस प्रकार है:

"धारा 4 जी, जब्ती - कोई भी आयातित सामान या सामग्री जिसके संबंध में-

- (ए) ऐसी वस्तुओं या सामग्रियों के उपयोग या वितरण से संबंधित लाइसेंस या प्राधिकार पत्र की कोई शर्त जिसके तहत उन्हें आयात किया गया था, या
- (बी) ऐसी वस्तुओं या सामग्रियों के उपयोग या वितरण से संबंधित कोई भी शर्त जिसके अधीन वे किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी से या उसके माध्यम से प्राप्त किए गए हों, या
- (सी) ऐसे सामान या सामग्री की बिक्री के संबंध में नियंत्रण आदेश के तहत दिया गया कोई निर्देश, उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है, या करने का प्रयास किया जा रहा है, किसी भी पैकेज, आवरण या गोदाम के साथ

जिसमें ऐसा सामान पाया जाता है, जब्ती के लिए उत्तरदायी होगा, और, जहां ऐसे सामान या सामग्री को किसी अन्य सामान के साथ मिलाया जाता है या जिन सामग्रियों को ऐसी अन्य वस्तुओं या सामग्रियों से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, वे भी जब्ती के लिए उत्तरदायी होंगी:

बशर्त कि जहां निर्णायक प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए यह स्थापित हो कि कोई भी माल या सामग्री, जो इस अधिनियम के तहत अधिहरण के लिए उत्तरदायी है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किया गया था, न कि किसी व्यापार या उद्योग के लिए, और वे किसी ऐसे व्यक्ति के हैं जो उस व्यक्ति के अलावा है, जिसने किसी भी चूक के कार्य से, उन्हें अधिहरण करने के लिए उत्तरदायी बना दिया है, और इस तरह की चूक का कार्य उस व्यक्ति की जानकारी या मिलीभगत के बिना था जिसके वे हैं, ऐसे सामान या सामग्रियों को जब्त करने का आदेश नहीं दिया जाएगा; लेकिन इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत ऐसी अन्य कार्रवाई उस व्यक्ति के विरुद्ध की जा सकती है जिसने इस तरह के

चूक के कार्य से ऐसे सामान या सामग्री को जब्त कर लिया है।"

आयात (नियंत्रण) आदेश 1955, 1947 के अधिनियम के आधार पर, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। खण्ड 3(1) में प्रावधान है कि:

"इस आदेश में अन्यथा किए गए उपबंध को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार या अनुसूची ॥ में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी द्वारा दिए गए लाइसेंस या सीमा शुल्क निकासी परमिट के तहत और उसके अनुसार अनुसूची । में निर्दिष्ट विवरण के किसी भी सामान का आयात नहीं करेगा।।"

खंड 5 जो हमारे उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है, उसे पूर्ण रूप में देखा जाना चाहिए, जो इस प्रकार है:

"5. लाइसेंस की शर्तें.- (1) इस आदेश के तहत लाइसेंस जारी करने वाला लाइसेंस प्राधिकारी नीचे बताई गई एक या अधिक शर्तों के अधीन लाइसेंस जारी कर सकता है: -(i) कि लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले माल का निपटान लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा विहित तरीके या अन्यथा लाइसेंसिंग प्राधिकारी या विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति की लिखित अनुमित के अलावा नहीं किया जाएगा।

- (ii) माल जो लाइसेंस के तहत आयात किया गया है, लाइसेंस के तहत संलग्न निर्देश के तहत निर्दिष्ट मूल्य से अधिक कीमत पर बेचा या वितरित नहीं किया जाएगा।
- (iii) लाइसेंस के लिए आवेदक उन शर्तों का अनुपालन करने के लिए एक बांड निष्पादित करेगा जिसके अधीन लाइसेंस दिया जा सकता है।
- (2)(ए) इस आदेश के तहत दिया गया लाइसेंस भी अनुसूची V में निहित शर्तों के अधीन होगा।
 - (3) ऐसे प्रत्येक लाइसेंस में यह शर्त मानी जायेगी कि:-
- (i) कोई भी व्यक्ति लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी लाइसेंस को हस्तांतरित नहीं करेगा और न ही हस्तांतरण द्वारा प्राप्त करेगा, सिवाय उस प्राधिकारी की लिखित अनुमित के जिसने लाइसेंस दिया है या ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की लिखित अनुमित के।
- (ii) जिस सामान के आयात के लिए लाइसेंस दिया गया है वह आयात के समय और उसके बाद सीमा शुल्क से निकासी के समय तक लाइसेंसधारी की संपत्ति होगी।

परन्तु इस उप-खंड के आइटम (i) और (ii) के तहत शर्तें भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम और स्वामित्व वाली अन्य समान संस्थाओं या एजेंसियों को जारी किए गए लाइसेंस के संबंध में लागू नहीं होंगी जो केंद्र सरकार की है या उसके द्वारा नियंत्रित है और जिन्हें आयात को व्यवस्थित करने का काम सौंपा गया है

परन्तु इस उप-खंड के आइटम (i) और (ii) के तहत शर्तें (ए) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के तहत वास्तविक उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए माल के आयात के लिए पात्र निर्यात घरों या व्यापारिक घरों को जारी किए गए लाइसेंस के संबंध में भी लागू नहीं होंगी, और (बी) आयात नीति के तहत वास्तविक उपयोगकर्ताओं को माल के उपयोग के लिए सरकार, केंद्र या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों को जारी किए गए लाइसेंस।

- (iii) जिस सामान के आयात के लिए लाइसेंस दिया गया है, वह उपयोग किये सामान के अलावा नया सामान होगा, जब तक कि लाइसेंस में अन्यथा न कहा गया हो।
- (4) इस आदेश के तहत दिए गए लाइसेंस में ऐसी अन्य शर्तें शामिल हो सकती हैं, जो अधिनियम या इस आदेश से असंगत नहीं हैं, जैसा कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी उचित समझे।
- (5) लाइसेंसधारी इस खंड के तहत लगाई गई या लगाई गई समझी जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

आदेश में निर्दिष्ट कारणों से इसके तहत जारी लाइसेंस को रद्द/निलंबित करने का प्रावधान है। ऑर्डर के शेड्यूल में कई सामानों का जिक्र है. इसमें कोई विवाद नहीं है कि कच्चा रेशम धागा अनुसूची में शामिल वस्तुओं में से एक है।

हम पहले उक्त सामान के स्वामित्व के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। यदि हम अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए कानून के प्रावधानों को अलग रखते हैं, जैसे, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(26), आयात (नियंत्रण) आदेश के खंड 5(3)(ii) के साथ-साथ आयात-निर्यात नीति के पैरा 26(iv)में आयातक की परिभाषा , तो स्थिति काफी स्पष्ट है। चूँकि दूसरे प्रतिवादी ने भुगतान नहीं किया और स्वामित्व के दस्तावेज़ प्राप्त नहीं किए, वह उक्त सामान की मालिक नहीं बन गई, जिसका अर्थ है कि पहला प्रतिवादी लगातार मालिक बना रहा। उपरोक्त प्रावधान इस स्थिति में कैसे भिन्नता कर सकते है? सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(26) में आयातक की परिभाषा वास्तव में स्वामित्व के प्रश्न से संबधित नहीं है। यह केवल आयातक के भाव को परिभाषित करती है। पहला प्रतिवादी आयातक होने का दावा नहीं करता है। इस संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा जिन प्रावधानों पर विश्वास किया गया, वे आयात (नियंत्रण) आदेश के खंड 5(3) (ii) में निहित हैं। खंड 5 का उप-खंड (1) उन शर्तों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें अनुदान के समय आयात लाइसेंस से जोड़ा जा सकता है। उप-खंड (2) कहता है कि आदेश के तहत दिया गया लाइसेंस आदेश की पांचवीं

अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा। उप-खंड (3) तीन अन्य शर्तें निर्धारित करता है जो (i), (ii), और (iii) में उल्लिखित है। जो इस आदेश के तहत दिए गए प्रत्येक आयात लाइसेंस से जुड़ी होंगी। इनमें से पहली शर्त कहती है कि आयात लाइसेंस लाइसेंसिंग प्राधिकारी या अन्य सक्षम प्राधिकारी की लिखित अन्मति के अलावा गैर-हस्तांतरणीय होगा। शर्त (ii) जो प्रावधान यहाँ सुसंगत है - जो कहता है कि जिस सामान के आयात के लिए लाइसेंस दिया गया है वह "आयात के समय और उसके बाद सीमा शुल्क के माध्यम से निकासी के समय तक लाइसेंसधारी की संपत्ति होगी। हालाँकि यह शर्त एसटीसी, एमएमटीसी और आयात को व्यवस्थित करने वाली अन्य समान संस्थानों पर लागू नहीं होती है। यह दूसरे परन्तुक में उल्लिखित कुछ पात्र निर्यात घरानों, व्यापारिक घरानों और सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों पर भी लागू नहीं होती है। शर्त (॥) उललेखित करती है कि जिस सामान के लिए आयात लाइसेंस दिया गया है वह नया सामान होगा जब तक कि लाइसेंस में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। अब शर्त (ii) पर वापस आते हुए, सवाल यह है कि इसका क्या मतलब है और इसका अंतर्निहित उद्देश्य क्या है जब यह कहा जाता है कि आयातित सामान आयात के समय से लेकर सीमा शुल्क के माध्यम से मंजूरी मिलने तक लाइसेंसधारी की संपत्ति होगी। उप-खंड की भाषा पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें कहा गया है, "यह ऐसे प्रत्येक लाइसेंस की एक शर्त मानी जाएगी कि माल जिस आयात के लिए लाइसेंस दिया गया है, वह आयात के समय और उसके बाद सीमा शुल्क के माध्यम से निकासी के समय तक लाइसेंसधारी की संपत्ति होगी।" नियम बनाने वाला प्राधिकरण (केंद्र सरकार), जिसने आदेश जारी किया है, इस तथ्य से अवगत होने तक उपधारणा कि जानी चाहिए कि कई मामलों में, आयातक अपने आयात के समय आयातित माल का मालिक नहीं होता है और वह बाद के चरण में ही उनका मालिक हो जाता है, यानी, जब वह भुगतान करता है और संबंधित दस्तावेज प्राप्त करता है। केंद्र सरकार ने यद्यपि ऐसा क्यों किया कि ऐसा माल आयात के समय से लाइसेंसधारी की संपत्ति होगा? इसका विवेचन करते हुए , उक्त प्रावधान के अंतर्निहित उद्देश्य का पता लगाना होगा। निर्वचन इस तरह से किया जाना चाहिए कि वह उपबंधाें ये सुसंगत हो और ऐसे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी का और हक जैसे भावों का कोई एक सार्वभौमिक अर्थ नहीं है। उनकी सामग्री संदर्भ के साथ बदलती रहती है। यह कहावत कि कोई शब्द क्रिस्टल नहीं है और वह संदर्भ से अपना रंग लेता है, इन शब्दों के मामले में भी कम सच नहीं है। हमारी राय में खंड 5(3) में अंतर्निहित शर्त (ii) का उद्देश्य आयात (नियंत्रण) आदेश और आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। विचार यह है कि आयात के समय से सीमा शुल्क के माध्यम से मंजूरी मिलने तक जो कुछ भी होता है, उस प्रत्येक के लिए लाइसेंसधारी को जिम्मेदार ठहराया जाए। निर्यातक देश से बाहर है, जबकि आयातक, यानी लाइसेंसधारी भारत में है। यह लाइसेंसधारी के कहने पर है

कि इस देश में माल का आयात किया जाता है। चाहे वह कानूनी रूप से ऐसी वस्तुओं का मालिक हो या नहीं, आयात (नियंत्रण) आदेश एक परिकल्पना पैदा करता है कि उसे आयात के समय से सीमा शुल्क के माध्यम से मंजूरी मिलने तक ऐसी वस्तुओं का मालिक माना जाएगा। यह परिकल्पना उक्त आदेश व आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बनाई गई है। हालांकि परिकल्पना को, उससे आगे नहीं ले जाया जा सकता। इसका उपयोग आयातित माल का स्वामित्व आयातक को सौंपने के लिए नहीं किया जा सकता है,उस स्थिति में भी जब उसने इसे त्याग दिया हो उस स्थिति में जहाँ वह स्वामित्व के दस्तावेजों के लिए भुगतान नहीं करता है और प्राप्त नहीं करता है। परित्याग के इस तरह के कार्य के लिए, उसके खिलाफ निलंबन/लाइसेंस को जब्त करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, और उसके खिलाफ कुछ अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे मामले में भी उसे माल के मालिक के रूप में नहीं माना जा सकता है। अन्यथा निर्यातक बह्त कठिन स्थिति में आ जायेगा ; वह भुगतान प्राप्त किए बिना माल खो देता है और उसका एकमात्र उपाय आयातक पर माल की कीमत और उस तरह के नुकसान के लिए मुकदमा करना है जो उसे उठाना पड़ा होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुकूल नहीं होगा। हम अच्छी तरह से उन स्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जहां एक या अन्य कारण से, एक आयातक आयातित माल के लिए

भुगतान करने या डिलीवरी लेने में विफल रहता है या वह परित्यक्त कर देता है। (हम फिर दोहरा रहे हैं कि हम एक ऐसे मामले की बात कर रहे हैं जहां आयात कानून के विपरीत नहीं है)।

यह ऐसी स्थिति के लिए है जोे इस मामले से संबधित है और हमारा निर्णय भी ऐसी स्थिति तक ही सीमित है।। हमारी राय में, खण्ड 5 के उप-खण्ड (3) (ii) की शर्त के अनुसार कथित माल के स्वामित्व से इस स्थिति में निर्यातक को वंचित नहीं किया जा सकता।

इस स्तर पर, एक पहलू को स्पष्ट करना उचित है। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां आयातक आयातित वस्तुओं की कीमत का भ्रगतान स्निधित/गारंटी देने के लिए साख पत्र खोलता है और कोई अन्य व्यवस्था करता है। ऐसे मामले में, कीमत का भ्गतान न करने या आयातक द्वारा छोड़ दिए जाने की स्थिति में, निर्यातक के लिए ऐसी व्यवस्था से कीमत वसूल करने का विकल्प खुला होगा। ऐसे मामले में, यह स्पष्ट है कि निर्यातक को माल पर स्वामित्व का दावा करने या पुनः निर्यात करने की अन्मति नहीं दी जाएगी। (वास्तव में, यह संभावना नहीं है कि ऐसे मामले में, आयातक सामान्य तौर पर माल छोड़ देता है।) इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे सभी मामलों में, निर्यातक को अनुमति देने से पहले प्राधिकारी को आयातक और/या उसके एजेंट को नोटिस जारी करना चाहिए। माल के साथ सौदा करना या उसका पुनः निर्यात करना चाहता हूँ। जहां तक इस मामले का सवाल है, आयातक और निर्यातक (क्रमशः आरआर 2 और 1)

दोनों कलेक्टर (सीमा शुल्क) के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। आर 2 ने ऐसी किसी व्यवस्था का अभिवचन नहीं किया।

अगला प्रश्न यह है कि क्या उक्त सामान का आयात किसी भी तरह से कानून के विपरीत था और क्या उक्त सामान सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्त किये जाने योग्य है।

अपीलकर्ताओं द्वारा जिन एकमात्र प्रावधानों पर भरोसा किया गया है वे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 में खंड (डी) और (ओ) हैं जिन्हें हमने यहां ऊपर निर्धारित कर चुके हैं। हमारी राय में इनमें से कोई भी खंड वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होता है। खंड (डी) ऐसे आयात के बारे में बात करता है जो सीमा शुल्क अधिनियम या उस समय प्रवृत किसी अन्य कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।इस मामले में इस तरह के प्रतिबंध का कथन नहीं किया जा सकता है क्योंकि आयात की तारीख को उक्त माल एक वैध आयात लाइसेंस द्वारा धारित किया गया था। बाद में लाइसेंस रद्द करने की कोई प्रासंगिकता नहीं है और न ही यह भूतलक्षी प्रभाव से आयात को अवैध बनाता है।(ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क के कलेक्टर कलकता, [1963] 3 एस.सी.आर.

खंड (0) उन वस्तुओं को जब्त करने करने के बारे में बताता है जिन्हें शर्त के अधीन शुल्क से छूट दी गई थी, जिस शर्त का पालन आयातक द्वारा नहीं किया गया। इस खंड के तहत कार्रवाई करने का अवसर केवल तभी उत्पन्न होता है जब निर्धारित अविध यदि कोई हो या जहां कोई निर्धारित नहीं है वहाँ उचित अविध के के भीतर शर्त का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में खंड (ओ) के तहत माल को उनके आयात की तारीख को जब्त किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, केवल इसलिए कि दूसरे प्रत्यर्थी ने पहले की तीन खेपों के लिए लगाई गई शर्त का पालन नहीं किया था, इसलिए यह उपधारणा करना संभव नही होगा कि विचाराधीन प्रश्नगत चार खेपों के संबंध में भी इसका पालन नहीं किया जाएगा। जो भी हो, फिलहाल यह नोटिस करना पर्याप्त है कि अब तक उस संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत या आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 4-जी के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा कि पढ़ने से ही पता चलता है 1947 अधिनियम की धारा 4-जी की कल्पना भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए की गई है,। इसमें कहा गया है कि ऐसे सामानों के उपयोग से संबंधित लाइसेंस की किसी भी शर्त का अनुपालन न करने पर उक्त सामान को जब्त कर लिया जाएगा, भले ही ऐसा सामान अन्य सामान या सामग्री के साथ मिलाया गया हो। इस मामले में, भले ही पांच साल से अधिक की अवधि बीत चुकी हो, सीमा शुल्क अधिनियम या आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 4-जी के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई है, हालांकि दूसरे प्रतिवादी का आयात लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में यह माना जाना चाहिए कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी या उस

पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए प्रतिवादी का उक्त माल पर हक के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा।

वर्ष 1985-86 के लिए आयात-निर्यात नीति के पैरा 26(iv) की बात करें तो, हमारी राय में, इसकी भी यहां कोई भौतिक प्रासंगिकता नहीं है। जो इस प्रकार है:

"26. आयात वैध है यदि यह अन्य बातों के अलावा निम्निलिखित शर्तों को पूरा करता है:-(iv) लाइसेंस/खुले सामान्य लाइसेंस/सीमा शुल्क निकासी परिमट और आयात-निर्यात नीति में निहित नियम और शर्तें और आयात की वस्तुओं और अन्य सभी जुड़े मामलों के संबंध में प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं।"

यह प्रावधान स्पष्ट बताता है। इसमें कहा गया है कि एक आयात वैध है यदि वह अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस में निहित सभी नियमों और शर्तों और अन्य सभी जुड़े मामलों को पूरा करता है। इस पैरा का हमारे द्वारा यहां निर्धारित की गयी स्थिति में माल के स्वामित्व के प्रश्न से वास्तव में कोई संबंध नहीं है।

यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि यह अपीलकर्ताओं का ऐसा मामला नहीं है कि पहला प्रतिवादी दूसरे प्रतिवादी द्वारा रची गई या लागू की जाने वाली किसी भी साजिश या अन्य धोखाधड़ी योजना में भागीदार था। यदि ऐसा होता तो अलग स्थिति होती।

जहां तक पुनः निर्यात निर्देश का सवाल है, हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। इसे कानून के अनुसार अनुमति दी जाएगी ,जाे बकाया राशि या अन्य शुल्कों के भुगतान के अधीन होगी जो उस संबंध में लगाए जा सकते हैं। निरोध प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश पर हमारे समक्ष चर्चा नहीं हुई है और हमें उस पर कोई राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है, लेकिन बिना किसी लागत के।

अपील खारिज. एन. पी. वी

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री राजेश कुमार मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)